# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 155/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/240

| प्रार्थी:— | बनाम | अप्रार्थीगण :— |
|---|---|---|
| भागीरथसिंह विकास अधिकारी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली | | 1. मुरलीधर पुत्र रतनलाल जाति खटीक, निवासी जैतपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली<br>2. सरपंच ग्राम पंचायत जाणुन्दा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली<br>3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जाणुन्दा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली |

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र राठौड़।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोंलकी।

—: निर्णय :—

दिनांक : 06/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा संकल्प संख्या 05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत जाणुन्दा के तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टे पर मिसल संख्या एवं दायर दिनांक अंकित नहीं है और न ही पंचायतीराज प्रावधानों के तहत निर्धारित शुल्क वसूल की गयी। उक्त पट्टे के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 20.07.2021 पारित करते समय केवल एक वार्डपंच व सरपंच के हस्ताक्षर है, जो कि गणपूर्ति के अभाव में खारिज योग्य है। अतः जैर निगरानी पट्टा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं दुरभि संधि कर जारी किये जाने से जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टा जारी किये जाने हेतु 100/— रूपये की राशि जमा करवाई थी, जो कि प्रथम आदेशिका में अंकित है। इसके पश्चात् पंचायतीराज नियमों के तहत मौका

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निरीक्षण किया गया तथा प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति नोटिस जारी किया करते हुये सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी का मुख्य आक्षेप यह है कि जैर निगरानी पट्टा गणपूर्ति के अभाव में जारी किया गया जबकि सभी सदस्य मौजूद होने तथा गणपूर्ति होने की दशा में बैठक आहूत कर जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव विधिनुसार लिया गया है। ग्राम पंचायत नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिनुरूप होने से उक्त निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा संकल्प संख्या 05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज यह था कि जैर निगरानी पट्टा प्रस्ताव दिनांक 20.07.2021 की पालना में जारी किया गया जबकि उक्त प्रस्ताव गणपूर्ति के अभाव में लिया गया था, जिसका विरोध करते हुये विपक्षी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौके पर सभी सदस्य मौजूद थे तथा गणपूर्ति होने पर ही बैठक आहूत की गयी। इस सम्बन्ध में अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 18.05.2023 के पैरा संख्या 4 में अंकितानुसार बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.04.2021 पर एक वार्ड पंच एवं सरपंच के हस्ताक्षर है जबकि ग्राम विकास अधिकारी के बयान अनुसार ग्राम पंचायत जाणुन्दा में कुल 9 वार्ड पंच है। नियमानुसार पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 48 गणपूर्ति और प्रक्रिया – (1) "किसी पंचायतीराज संस्था की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से होगी। यदि बैठक के लिए नियम समय पर गणपूर्ति नहीं हुई हो, तो अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी तीस मिनट तक इन्तजार करेगा, और यदि ऐसी कालावधि के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है, तो अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी बैठक को अगले दिन या ऐसे भावी दिन, जो वह नियत करे, के ऐसे ही समय तक के लए स्थगित करेगा" अर्थात् पंचायतीराज संस्था द्वारा बैठक आहूत करने के लिये कुल सदस्यों के एक–तिहाई सदस्य उपस्थित होने आवश्यक है अर्थात् यदि कोरम की पूर्ति के बिना कोई आदेश पारित हुआ है तो वह अवैध माना जाएगा और ऐसे आदेश को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में रेकर्ड का अवलोकन करने पर यही मामला दृष्टिगोचर होता है और यह पाते है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.04.2021, सरपंच की अध्यक्षता में केवल एक वार्ड पंच की उपस्थित में आहूत की गई जो कि पचांयतीराज नियमों के प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1984 पेज नम्बर 174 स्टेट ऑफ राज. बनाम गोविन्द राम व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "ग्राम पंचायत का अर्थ केवल सरपंच, उपसरपंच या किसी पंच से नहीं है, बल्कि एक विधिवत रूप से बुलाई गई बैठक जिसमें कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) पूरा हो, वही ग्राम पंचायत मानी जाएगी। कोरम के अभाव में आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव अस्वीकार्य होगे।"

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर आवेदक का नाम मुरलीधर पुत्र रतनलाल खटीक अंकित है परन्तु उक्त आवेदन पर हस्ताक्षर रतनलाल के है। आदेशिका दिनांक 08.02.2021 के द्वारा सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये परन्तु उक्त आदेश की पालना में तैयार नक्शे पर आवेदक का नाम मुरलीधर अंकित है जबकि सायल के रूप में मुरलीधर के साथ रतनलाल के भी हस्ताक्षर है। नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई और न ही पंचों द्वारा कोई राय कायम की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 22.03.2021 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त बैठक में पेज संख्या 33 पर प्रस्ताव संख्या 4 का दो बार अंकन किया गया अर्थात् सम्पूर्ण बठैक होने के पश्चात् जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव संख्या 4 लिखा गया तथा दोनों प्रस्ताव की हस्तलेखनी में भी अन्तर है, जो देखने मात्र से मिथ्या एवं दूरभीसंधी का प्रतीत होता है। प्रकरण में आवेदक का कब्जा सत्यापन के सम्बन्ध में स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये जाने थे परन्तु प्रकरण में केवल 1 स्वतंत्र गवाह के बयान लेकर आवेदक, आवेदक के पिता के बयान लिये गये। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण बयान निर्धारित प्रारूप में टाईपशुदा तथा गवाहों के बयान साइक्लोस्टाईल में दर्ज है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि आवेदक अप्रार्थी द्वारा आवासीय मकान का पट्टा बनाने बाबत् आवेदन पत्र पेश किया परन्तु उनके बयान में कहीं पर भी प्रश्नगत भूमि पर मकान होने के तथ्य अंकित नहीं है अपितू आवेदनकर्ता का अपने बयान में स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रश्नगत भूमि पर जन्म से उनका कब्जा है। इसके अतिरिक्त अन्य बयानकर्ता ने भी अपने बयान में जैर आराजी पर अप्रार्थी का जन्म से कब्जा होने के सम्बन्ध में कथन किये है। साथ ही भूमि निरीक्षण रिपोर्ट में भी जैर आराजी पर आवासीय मकान हो, ऐसे तथ्य अंकित नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ(Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा संकल्प संख्या 05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.07.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत जाणुन्दा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)